

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 574 ]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2013—पौष 3, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्र. एफ 6ए-42-1995-1-पांच-(55).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य कराधान (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त नियम में, नियम 12 में, उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(4) चयन सूची, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी, जो, आयोग की सहमति से छह मास की कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी।”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्र. एफ 6ए-42-1995-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 6ए-42-2012-1-पांच-(55), दिनांक 24 दिसम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 24th December 2013

No. F-A 6A-42-1995-1-V(55).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh State Taxation (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2008, namely :—

**AMENDMENT**

In the said rule, in rule 12, for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

- “(4) The selection list shall be valid for a period of one year from the date of issue by the Madhya Pradesh Public Service Commission, which, may be extended for a period of six months with the concurrence of the Commission.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.